FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0093 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 21/05/2024 15:13 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 21/03/2024 **Date To (दिनांक तक):** 27/03/2024

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:52 बजे **Time To (समय तक):** 14:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 21/05/2024 **Time (समय):** 13:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 21/05/2024 15:13:59 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 85 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** MERTA CITY NAGAUR

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** NATHURAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** HEERARAM JAT

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1990 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DDHWARA, MERTACITY, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DDHWARA, MERTACITY, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9828465949

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RISHIKESH MEENA		पिता:GIRRAJ MEENA	1. DUDHRAI POST AADA DHUNGAR,SAPOTARA,KARAULI,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		13,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 13,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0नि0ब्यूरो, नागौर। विषय - पटवारी श्री रिसिकेश मीणा पटवार हल्का दधवाडा, त0 मेडता सिटी जिला नागौर को रिश्वत लेते हुवे को रंगे हाथ पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मैं नाथूराम s/o हीराराम जाति जाट सारण निवासी दधवाडा उम्र 34 वर्ष जिला नागौर का रहने वाला हूँ। हम दो भाईयों ने जमीन को दधवाडा में खरीदी थी, उस जमीन की तरमीम करवानी है। जिस पर मैं पटवारी जी से दिनांक 19/03/2024 को मिला तथा जमीन की तरमीम करवाने हेतु कागजात दिये तब पटवारी जी ने कहा कि इस काम के 13,000 रूपये देने पडेंगे नहीं तो तुम्हारा काम नहीं होगा। मैं मेरे वाजिब काम के बदले रिश्वत पटवारी जी को नहीं देना चाहता हूँ। रिश्वत लेते हुवे पटवारी जी को रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। कानूनी कार्यवाही करें। दिनांक 27/03/2024 प्रार्थी एसडी नाथूराम s/o हीराराम निवासी दधवाडा, नागौर। मो0 9828465949 कार्यवाही पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर निवेदन है कि दिनांक 21.03.2024 को समय 04.52 पी.एम. पर श्रीमती कल्पना सोलंकी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, नागौर के मोबाईल नम्बर 7014795328 पर परिवादी श्री महिपाल के मोबाईल नम्बर 9667886969 से फोन आया व बताया कि मेरे दोस्त नाथूराम निवासी दधवाडा से पटवार हल्का दधवाडा का पटवारी जमीन की तरमीम करवाने की एवज में रिश्वत राशि की मांग कर रहा है, जिसको रंगे हाथ पकडवाना चाहता है, जो आपको दधवाडा गांव में कल सुबह 11 बजे मिल जायेगा, जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी जाकर अग्रिम कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा दिनांक 22.03.2024 को समय 10.15 ए.एम. पर श्री कानाराम कानि नं. 532 को कार्यालय की अलमारी में से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय नया मैमोरी कार्ड निकालकर सुपुर्द करते हुए रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता के लिए परिवादी के मोबाईल नम्बरों व पते से अवगत करवाया जाकर हिदायत दी गई कि परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वती मांग सत्यापन हेतु टेप रिकॉर्डर बन्द चालू करने की विधि समझाईश कर परिवादी को सुपुर्द करें तथा बाद रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुरक्षित लाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द करें। बाद हिदायत कानि. श्री कानाराम को परिवादी से सम्पर्क कर मांग सत्यापन वार्ता करवाने हेतु ग्राम दधवाडा की ओर रवाना किया गया। तत्पश्चात श्री कानाराम कानि. 532 दिनांक 22.03.2024 का गया हुआ ग्राम दधवाडा से हाजिर चौकी आया व डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया को सुपुर्द कर बताया कि निर्देशानुसार मैं चौकी नागौर से रवाना होकर ग्राम दधवाडा पहुंचा जहां पूर्व से पाबंद सुदा परिवादी श्री नाथूराम उपस्थित मिला, जिसको मैंने आरोपी पटवारी से सम्पर्क करने व पता करने हेतु कहा तो परिवादी ने बताया कि आज हम लेट हो गये हैं पटवारी जी मेडता सिटी निकल गये। पटवारी मेडता सिटी में ही परिवार सहित निवास करता है। अभी तीन दिनों की छुट्टियां होने के कारण पटवारी जी दिनांक 26.03.2024 को निवास स्थान पर या तहसील कार्यालय में मिलेंगे जिस पर परिवादी श्री नाथूराम को आवश्यक हिदायत देकर वापिस एसीबी चौकी नागौर के लिए रवाना होकर उपस्थित आया हूँ। जिस पर कानि. कानाराम को आवश्यक हिदायत कर मांग सत्यापन वार्ता के लिए आईन्दा परिवादी से सम्पर्क कर मेडता सिटी जाने के लिए पाबंद किया गया। दिनांक 27.03.2024 को वक्त 10.15 ए.एम. पर श्री कानाराम कानि. 532 को कार्यालय की अलमारी में से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय नया मैमोरी कार्ड निकालकर सुपुर्द करते हुए रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता के लिए मेडता सिटी के लिए रवाना किया जाकर हिदायत दी गई कि परिवादी से सम्पर्क कर लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वती मांग सत्यापन हेतु टेप रिकॉर्डर बन्द चालू करने की विधि समझाईश कर परिवादी को सुपुर्द करें तथा बाद रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुरक्षित लाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द करें। बाद हिदायत कानि. श्री कानाराम को परिवादी से सम्पर्क कर मांग सत्यापन वार्ता करवाने हेतु मेडता सिटी की ओर रवाना किया गया। वक्त 05.15 पी.एम. पर श्री कानाराम कानि. 532 दिनांक 27.03.2024 का गया हुआ उपस्थित कार्यालय आया तथा परिवादी श्री नाथूराम द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द करते हुए बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर मेडता सिटी पहुंच परिवादी श्री नाथूराम से मिला तथा निर्देशानुसार परिवादी से लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त किया। ताबाद परिवादी के बतायेनुसार पटवारी के मेडतासिटी स्थित निवास स्थान पर पहुंच परिवादी को आरोपी पटवारी से मिलकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के लिए डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर डिवाईस को बन्द चालू करने की समझाईश कर आरोपी पटवारी के निवास स्थान को रवाना किया गया। कुछ

देर बाद परिवादी आरोपी पटवारी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता कर मन् कानि. के पास आया और डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मन् कानि. को सुपुर्द कर बताया कि मेरी आरोपी पटवारी से वार्ता हो चुकी है। आरोपी पटवारी ने मेरे काम के बदले 13,000 /- रूपये रिश्वत राशि की मांग की है तथा कल दिनांक 28.03.2024 को 10,000/- रूपये रिश्वत के देना तय हुआ है, जिस पर कानि. कानाराम द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी को कल दिनांक 28.03.2024 को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000/- रूपये की व्यवस्था कर एसीबी चौकी नागौर आने की हिदायत की गई, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर रिकॉर्ड वार्ता के मुख्य-मुख्य अंशो को सुना गया तो रिकॉर्ड वार्ता से मामला रिश्वत राशि मांग का होकर पीसी एक्ट की परिधि में आना पाया जाने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक तेजाराम को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही शुरू की गई। दिनांक 28.03.2024 को वक्त 10.00 ए.एम. पर पूर्व निर्देशानुसार परिवादी श्री नाथूराम आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000/- रूपये की व्यवस्था कर उपस्थित कार्यालय आया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री नाथूराम से परिचय कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही शुरू की गई। ताबाद श्री मोहनराम हैड कानि. को दो स्वतंत्र गवाहों की तलबी हेतु श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के नाम तहरीर देकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को रवाना किया गया। थोडी देर बाद श्री मोहनराम हैड कानि. मय दो स्वतंत्र गवाहान श्री नरपतमल जैन पुत्र श्री मदनलाल, जाति जैन, उम्र 54 वर्ष, निवासी सुराणा की बडी पोल, नागौर, पुलिस थाना कोतवाली, नागौर, जिला नागौर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर व श्री सुरेशचन्द पुत्र श्री रामप्रसाद जाति ब्राह्मण उम्र 54 वर्ष, निवासी संजय कॉलोनी नागौर, पुलिस थाना कोतवाली, नागौर जिला नागौर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नागौर के उपस्थित कार्यालय आये। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों गवाहान से परिवादी का परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढाया गया व डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश सुनाये गये, जिस पर दोनों गवाहान ने सन्तुष्ट होकर स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति प्रदान की। जिस पर वक्त 11.00 ए.एम. मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री नाथूराम को रिश्वत में दी जानें वाली राशि पेश करने का कहने पर उसने अपने पास से 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपनी जेब में से निकाल कर पेश किये, जिनका विवरण इस प्रकार हैं - 1. पांच सौ रूपये का एक नोट 0QU 669730, 2. पांच सौ रूपये का एक नोट 7CF 156158, 3. पांच सौ रूपये का एक नोट 8MM 068455, 4. पांच सौ रूपये का एक नोट 0PD 072350, 5. पांच सौ रूपये का एक नोट 0HE 556182, 6. पांच सौ रूपये का एक नोट 9WV 017192, 7. पांच सौ रूपये का एक नोट 6GU 918839, 8. पांच सौ रूपये का एक नोट 6ED 909328, 9. पांच सौ रूपये का एक नोट 6TA 622601, 10. पांच सौ रूपये का एक नोट 7WU 421178, 11. पांच सौ रूपये का एक नोट 8MK 379796, 12. पांच सौ रूपये का एक नोट 5CB 602972, 13. पांच सौ रूपये का एक नोट 1GA 324449, 14. पांच सौ रूपये का एक नोट 6TM 344899, 15. पांच सौ रूपये का एक नोट 9GH 072301, 16. पांच सौ रूपये का एक नोट 5HS 501845, 17. पांच सौ रूपये का एक नोट 6VU 564627, 18. पांच सौ रूपये का एक नोट 8NA 430072 19. पांच सौ रूपये का एक नोट 3CH 551162, 20. पांच सौ रूपये का एक नोट 1EK 024763 तत्पश्चात श्रीमती संगीता महिला कानि नम्बर 332 से कार्यालय की अलमारी में से फिनोफथलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाया जाकर कार्यालय कक्ष में स्थित टेबल के उपर अखबार पर रखकर उपरोक्त सभी नोटों के दोनों ओर हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री नाथूराम की जामा तलाशी गवाह श्री सुरेशचन्द से लिवाई गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। फिनोफथलीन पाउडर लगे नोटों को श्रीमती संगीता महिला कानि नम्बर 332 से परिवादी के पहनी हुई जींस पेंट की आगे की बायीं जेब में कुछ भी शेष नहीं छोडते हुए रखवाये गये। परिवादी श्री नाथूराम को बताया गया कि इन नोटों को तब तक नहीं छुए जब तक आरोपी रिश्वत की मांग नहीं करे तथा उसके द्वारा रिश्वत मांगने पर उक्त फिनोफथलीन पाउडर लगे नोट अपनी जेब से निकाल कर उसे देवें तथा अपने कार्य से सम्बन्धित वार्ता करें। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर ट्रेप दल के सदस्यों को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करें तथा मन् पुलिस निरीक्षक को मिसकॉल भी करें। यह भी ध्यान रखे कि आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद कहां रखता है या छुपाता है। दोनों गवाहों को भी निर्देश दिए गये कि यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती लेन-देन व इनके बीच होने वाली वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी रंगहीन रहा। गिलास के इस रंगहीन घोल में श्रीमती संगीता महिला कानि के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार दोनो गवाहो व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोफथलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया का महत्व द्रष्टान्त देकर समझाया गया। फिनोफथलीन पाउडर का डिब्बा श्रीमती संगीता महिला कानि से कार्यालय की अलमारी में रखवाकर गिलास के मिश्रण को बाहर फिकवाया गया तथा अखबार जिस पर रखकर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया है व डिस्पोजल गिलास को जलवाया जाकर श्रीमती

संगीता महिला कानि के हाथों को साबुन व पानी से साफ धुलवाये गये। समस्त ट्रेप दल के सदस्यों के हाथ साफ धुलवाकर आवश्यक निर्देश दिये गये तथा ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों को साफ धुलवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। परिवादी श्री नाथूराम को वक्त रिश्वत लेन-देन होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये कार्यालय के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को ऑपरेट करने की विधि समझाकर सुपूर्द किया गया। प्रथक से फर्द पेशकशी व सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की फर्द तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। श्रीमती संगीता महिला कानि. को कार्यालय में ही रहने की हिदायत दी गई। दिनांक 28.03.2024 को वक्त 12.15 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री नाथूराम तथा स्वतंत्र गवाहान श्री नरपतमल जैन व श्री सुरेशचन्द मय ट्रेप दल के सदस्य सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह स.उ.नि., मोहनराम हैड कानि., नेमीचन्द कानि. 405, बालाराम कानि. 554, कानाराम कानि. 532, प्रेमाराम कानि. 218 व राजेन्द्र झुरिया कानि. 150 जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेन्द्रसिंह कानि. चालक 355 व एक प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु मेडता सिटी को रवाना होकर वक्त 01.45 पी.एम. पर कस्बा मेडता सिटी में कचहरी रोड, एल.आई.सी. ऑफिस के पिछे पहुंचे, जहां सडक पर एक साईड में दोनों वाहनों को खडा कर परिवादी श्री नाथूराम को आवश्यक हिदायत दी जाकर आरोपी पटवारी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि देने व अपने कार्य के संबंध में वार्ता करने हेतु आरोपी पटवारी के निवास स्थान की ओर पैदल रवाना किया जाकर कानि. श्री कानाराम को परिवादी के पिछे-पिछे रवाना किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान ट्रेप दल के सदस्य अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए आरोपी पटवारी के आवास के आस-पास खडे होकर परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। वक्त 02.05 पी.एम. पर परिवादी श्री नाथूराम ने रिश्वत राशि ग्रहण करने का मुकर्रर ईशारा किये बिना ही मन् पुलिस निरीक्षक के पास आकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं आरोपी पटवारी के निवास स्थान के अन्दर गया तो आरोपी अपने निवास पर उपस्थित मिला जिससे मैंने अपने कार्य से संबंधित वार्ता कर रिश्वत राशि रूपये 10,000/- दिये, जिस पर आरोपी रूपये अपने हाथ में लेकर गिनने लगा तो आरोपी को कुछ शंका हुई और मुझे बताया कि इन नोटों पर पाउडर लगा हुआ है। तूं मुझे मरवा देगा। मेरे बच्चे छोटे हैं। मुझे माफ करदे। यह रूपये तूं अपने पास रख। जिस पर मेरे द्वारा रिश्वत राशि वापिस लेकर अपनी जेब में रखली तथा मुझे उक्त आरोपी पटवारी पर दया आ गई तो मैंने आरोपी पटवारी को आपके आने का बता दिया जिस पर आरोपी पटवारी मेरे सामने से ही साईड की दीवार फांदकर भाग गया। उसके भगने के बाद मैं बिना कोई ईशारा किये ही आपके पास आया हूँ। मुझे आरोपी पटवारी पर दया आने से मैं आपको कोई ईशारा या मिसकॉल नहीं कर पाया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा हमराह जाब्ता को निर्देशित कर आरोपी पटवारी की तलाश आस-पडौस में करवाई गई मगर आरोपी पटवारी का कोई सुराग नहीं मिला। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी की जेब में रखी राशि गवाह श्री सुरेशचन्द से निकलवाई जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में मुर्तिबा फर्द पेशकशी से करवाया गया तो हुबहू वही नोट होना पाये गये। जिनको एक कागज के लिफाफे में रखकर स्वतंत्र गवाह श्री सुरेशचन्द के पास सुरक्षित रखवाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर मुख्य-मुख्य अंश सुने गये तो परिवादी के कथनों की ताईद हुई। समस्त हालात श्रीमती कल्पना सोलंकी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया, भ्र.नि.ब्यूरो, नागौर को निवेदन किये गये। ताबाद वक्त 03.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी व गवाहान मय ट्रेप दल के सदस्यों के जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर के मेडता सिटी से एसीबी चौकी नागौर को रवाना होकर वक्त 05.00 पी.एम. पर एसीबी चौकी नागौर पहुंच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। वक्त 05.10 पी.एम. पर वॉयस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा वॉयस रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मैमोरी कार्ड में दर्ज रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दो पैन डाईव व एक डीवीडी पृथक-पृथक बनवाये गये। ताबाद वॉयस रिकॉर्डर से मूल मैमोरी कार्ड को निकालकर कपडे की थैली में डालकर शील्ड कर एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु वार्ता के दोनो पैन ड्राईव अलग-अलग कपडे की थैली में डालकर पृथक-पृथक शील्ड कर न्यायालय व आरोपी हेतु तथा एक डीवीडी कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. डीवीडी शामिल पत्रावली की गई तथा वक्त 07.40 पी.एम. पर वॉयस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता को सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा वॉयस रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मैमोरी कार्ड में दर्ज वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के दो पैन डाईव व एक डीवीडी पृथक-पृथक बनवाये गये। ताबाद वॉयस रिकॉर्डर से मूल मैमोरी कार्ड को निकालकर कपडे की थैली में डालकर शील्ड कर एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु वार्ता के दोनो पैन ड्राईव अलग-अलग कपडे की थैली में डालकर पृथक-पृथक शील्ड कर न्यायालय व आरोपी हेतु तथा एक डीवीडी कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. डीवीडी शामिल पत्रावली की गई। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड की हैज वैल्यू निकाली जाकर शामिल पत्रावली की गई। उक्त कार्यवाही में अब तक तैयार की गई समस्त फर्दात एवं जब्तशुदा आर्टीक्ल्स पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर की जिस पीतल की मोहर का प्रयोग किया गया, उक्त सील की फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। चूंकी आरोपी को ट्रेप कार्यवाही की भनक

लग चुकी है। अब परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करना व अग्रिम ट्रेप कार्यवाही संभव नहीं है। अत प्रकरण में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि नम्बरी नोटों को परिवादी श्री नाथूराम की प्रार्थना पर रिश्वत राशि 10,000/- रूपये रूबरू स्वतंत्र गवाहान के वापिस सुपुर्द की गई। ताबाद वक्त 09.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड सील्ड सुदा एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, दो पृथक-पृथक सील्ड सुदा पैन ड्राईव न्यायालय व आरोपी हेतु तथा वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड सील्ड सुदा एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, दो पृथक-पृथक सील्ड सुदा पैन ड्राईव न्यायालय व आरोपी हेतु मालखाना प्रभारी श्री मोहन राम हैड कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। परिवादी श्री नाथूराम व स्वतंत्र गवाहान श्री नरपतमल जैन व सुरेशचन्द को बाद कार्यवाही आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गये। उपरोक्त कार्यवाही व फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता से स्पष्ट है कि आरोपी श्री ऋषिकेश मीणा को अपने विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने पर आरोपी ने रिश्वत राशि परिवादी को वापिस लौटा दी तथा अपने निवास से रूहपोश हो गया एवं परिवादी श्री नाथूराम स्व्यं ने भी दौराने लेन-देन वार्ता आरोपी पटवारी को उसके विरूद्ध की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही व एसीबी टीम की उपस्थिति के बारे में अवगत करवा दिया तथा आरोपी को दी जाने वाली फिनोफ्थलीन पाउडर लगी रिश्वत राशि अपनी जेब में डालकर वापिस ले आया और आरोपी पटवारी को एसीबी कार्यवाही से अवगत करवाया व एसीबी टीम को बिना कोई ईशारा किये विलम्ब से बाहर आकर मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आरोपी पटवारी भाग गया है। जिस पर ट्रेप कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो सकी। उपरोक्त समस्त कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री ऋषिकेश मीणा पटवारी, पटवार हल्का दधवाडा, तहसील मेडता सिटी, जिला नागौर द्वारा परिवादी श्री नाथूराम से दोनों भाईयों द्वारा ग्राम दधवाडा में खरीद सुदा जमीन की तरमीम करवाने की एवज में अपने वैद्ध पारिश्रमिक से भिन्न 13,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग करना फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट आरोपी व परिवादी के मध्य दिनांक 27.03.2024 को रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 28.03.2024 को आरोपी व परिवादी के मध्य वक्त रिश्वत लेन-देन हुई वार्ता से स्पष्ट प्रमाणित पाया जाता है। अत आरोपी श्री ऋषिकेश मीणा पटवारी, पटवार हल्का दधवाडा, तहसील मेडता सिटी, जिला नागौर द्वारा परिवादी श्री नाथूराम से रिश्वत राशि 13,000/- रूपये की मांग किये जाने पर आरोपी का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध घटित होना पाया जाता है। अत आरोपी श्री ऋषिकेश मीणा पटवारी, पटवार हल्का दधवाडा, तहसील मेडता सिटी, जिला नागौर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियोग पंजिबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्र.नि.ब्यूरो, राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है। भवदीय एसडी तेजाराम पुलिस निरीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, नागौर.........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री तेजाराम, पुलिस निरीक्षक,भ्र0नि0ब्यूरो, नागौर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में आरोपी श्री ऋषिकेश मीणा पुत्र श्री गिर्राज मीणा ,पटवारी, पटवार हल्का दधवाडा, तहसील मेडतासिटी, जिला नागौर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कल्पना सोलंकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 325 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 466-69 दिनांक 21.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर-प्रथम। 2 जिला कलक्टर, नागौर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KALPANA SOLANKI **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 21/05/2024 15:17:14

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	15/06/1981				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)